संख्या–1286 / XXVIII–5– / 2009–175 / 2009

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादूनः दिनांकः 4 दिसम्बर, 2009

विषयः वित्तीय वर्ष 2009–10 में 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग के अनावासीय भवनों में में वार्षिक / अनुरक्षण कार्य एवं विशेष मरम्मत के कार्यो के 14 कार्यो की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प / 1 / 10 / 2009 / 40759 दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय 12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत चिकित्सा विभागान्तर्गत जनपद देहरादून एवं टिहरी गढवाल स्थित अनावासीय भवनों में टाईलिंग, मारवल फ्लोरिंग, अनुरक्षण कार्य एवं विशेष मरम्मत के कार्यो के 14 कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में औचित्यपूर्ण लागत रू0 37,63,000.00 (रू0 सैतीस लाख तिरसठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय / वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए संलग्नकानुसार कुल रू0 37,63,000.00 (रू0 सैतीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त हा आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3– उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर चिकित्सा विभागान्तर्गत संबंधित जनपदों के जनपद स्तरीय आहरण वितरण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर के अधिकारी का विभागीय तकनीकी अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाउचर संख्या एवं दिनाँक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

5– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करनी आवयक होगी।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– धनराशि उन्हीं मदों / कार्यों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

8– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जाय।

9– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31.12.2009 से पूर्व सुनिश्चित कर इसका वित्तीय / भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। निर्धारित समयावधि में पूर्ण उपयोग न करने का मूलरूप से दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

10– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए ।

11— प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा।

12— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

13— निर्माण सामग्री कय करने/कार्य करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के सुसंगत प्राविधानों का पालन कडाई से किया जाय तथा वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण इकाई के साथ एम0ओ0 हस्ताक्षरित कर लिया जाय।

14— कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात दिए गए निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

15— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व प्रयोगशाला से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

16— स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) देहरादून दिनांक 30.[illegible] 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन किया जाय।

18— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष–2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 2059–लोक निर्माण कार्य–आयोजनेत्तर 80–सामान्य 053–रख–रखाव तथा मरम्मत 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं 0101–12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण 29–अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

19— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–328/(NP)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5/2009 दिनांक 02.12.2009 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव,

संख्या–1286 (1)/XXVIII-5-2009-175/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2— निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड।
4— स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढवाल।
6— मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून /टिहरी गढवाल।
7— वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
8— अपर सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
9— बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10— मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
12— गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

शासनादेश सं0–1286 /XXVIII-5-2009-175/2009 दिनांक 04 दिसम्बर, 2009 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र स	जनपद का नाम	कार्य का नाम	कुल आगणनों की लागत रूपये में	टी.ए.सी द्वारा अनुमोदित लागत लाख रू0 में
1	देहरादून	1–सामु0स्वा0 केन्द्र चकराता में चिकित्सालय भवनों की वार्षिक मरम्मत व छत दरवाजे आदि की मरम्मत का कार्य	213520.00	2.07
		2–सामु0स्वा0 केन्द्र चकराता में चिकित्सालय परिसर के फर्सो की मरम्मत का कार्य	313619.00	2.70
		3–रा0ए0 डिस्पेंसरी लखवाड़ में चिकित्सालय भवन में डेडोवाल पर टाइल्स लगाने का कार्य	242490.00	2.32
		4–एस0ए0डी0 सेलाकुई के चिकित्सालय भवन की छत की मरम्मत एवं रगाई पुताई का कार्य	153026.00	1.49
		5–एस0ए0डी0 कोटी सहसपुर के चिकित्सालय भवन की रगाई पुताई एवं मरम्मत का कार्य	27338.00	0.26
		6–प्रा0 स्वा0 केन्द्र रूद्रपुर के चिकित्सालय भवन में वार्षिक मरम्मत व टाइल्स लगाने का कार्य	309912.00	2.96
		7–एस0ए0डी0 मालदेवता में चिकित्सालय भवनों में डेडो/दीवरों पर टाईल्स लगाने का कार्य	213366.00	2.04
		8–प्रा0 स्वा0 केन्द्र बालावाला में चिकित्सालय भवन में डेडो/दीवारों पर टाइल्स लगाने का कार्य	243865.00	2.53
2	टिहरी गढ़वाल	1–जिला चिकित्सालय बौराडी में ई0सी0जी0, कॉरिडोर, आपातकालीन ब्लाक, माईनर ओ0टी0 आदि मरम्मत का कार्य	79530.00	0.80
		2–जिला चिकित्सालय बौराडी में एक्स–रे ब्लॉक ,लैब, सीढियों आदि में मरम्मत का कार्य	170535.00	1.70
		3–जिला चिकित्सालय बौराडी में ऑर्थोपेडिक विभाग, डेण्टल तथा ड्रेसिंग रूम आदि में मरम्मत का कार्य	165924.00	1.66
		4–जिला चिकित्सालय बौराडी में वार्षिक मरम्मत का कार्य	516937.00	5.17
		5–जिला चिकित्सालय बौराडी में इन्टरलॉकिंग टायल्स का कार्य	281872.00	2.82
		6–जिला चिकित्सालय बौराडी में वार्डों, ओ0टी0 ब्लॉक एवं शव विच्छेदन गृह आदि में मरम्मत का कार्य	931174.00	9.31
		कुल योग–	38.50	37.63

(रू0 सैतीस लाख तिरसठ हजार मात्र)

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

I:\Documents and Settings\medical-5\Desktop\R.S Rawat\12 Vitt Ayog\12 Vitt Ayog- Letter.doc